राजस्थान विधान सभा

षष्ठम् सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2011

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा साबरमती नदी से देवास योजना के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण पूर्ण कर उदयपुर, मातृकुण्डिया (चित्तौड़) तथा मेजा डेम (भीलवाड़ा) को पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री आदराम मेघवाल, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2010-2011, राज्य सरकार के नियंत्रित/निदेशित निगमों/उपक्रमों/मण्डलों, संस्थाओं की सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1996-1997 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2010-2011 के परिपालनात्मक तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

1- श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

I- पुस्तकालयाध्यक्ष, द्वितीय श्रृंखला को चयनित वेतनमान दिये जाने के संबंध में;

II- उदयपुर की वाटिकाओं के आस-पास रहने वाले लोगों की परेशानियों के संबंध में;

III - उदयपुर की झीलों से जलकुम्भी निकलवाने के संबंध में; एवं

IV- शिक्षा प्रसार अधिकारियों की पदोन्नति राजस्थान सेवा नियम, 1970 के शैड्यूल के ग्रुप-ई के अनुसार 50 प्रतिशत सीमा तक नहीं दिये जाने के संबंध में।

2- श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

I- पंचायत समिति बालेसर व शेरगढ़ से प्राप्त व जिले की अन्य पंचायत समितियों से प्राप्त प्रस्तावों को जिला परिषद, जोधपुर में अनुमोदन अनुसार 500 जनसंख्या की समूह (कलस्टर) ढाणियों (हैबीटेशन) के प्रस्तावों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने के संबंध में;

II- विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कृषि विस्तार के अधीन सहायक कृषि अधिकारी, चामू एवं कृषि पर्यवेक्षक के नवीन अथवा पुनर्गठन कर पदस्थापन के संबंध में; एवं

III - धार्मिक/पर्यटन स्थलों को सड़क से जोड़ने बाबत् ।

3- श्री हरिसिंह रावत, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

I- विधान सभा क्षेत्र भीम के राजकीय महाविद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोलने एवं राजकीय महाविद्यालय में अतिक्रमण रोकने व गरीब छात्राओं हेतु आवासीय छात्रावास के संबंध में; एवं

II- विधान सभा क्षेत्र भीम के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम एवं देवगढ़ में कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पड़े पद एवं अन्य सुविधाओं के संबंध।

4- डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

I- खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र की तहसील छतरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में; एवं

II- विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की तहसील छतरगढ़ में सहायक अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय खोलने के संबंध में ।

5- श्री रामनारायण मीणा, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगें :-

I- बम्बोरी (बून्दी) माध्यमिक विद्यालय के लिये पर्याप्त रकबे के खेल मैदानों की व्यवस्था किये जाने के संबंध में;

II- माध्यमिक विद्यालय ख्यावदा (बून्दी) के खाते एवं स्वामित्व की भूमि में राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण नहीं करवाये जाने के संबंध में; एवं

III- पंचायत समिति बून्दी के लिये सी.ए.डी. रेस्ट हाऊस माटून्दा/खटियाड़ी में खोले जाने के संबंध में।

6- कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगें :-

I- बायतू मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने के संबंध में ;

II- सियागों की ढाणी, माण्डपुरा बरवाला को सड़क से जोड़ने के संबंध में ;

III- चिड़िया मुख्यालय स्थित पेयजल होदी की मरम्मत करने के संबंध में; एवं

IV- खरंटिया, बोड़वा एवं सणपा को बाडमेर लिफ्ट द्वितीय चरण में शामिल करने बाबत्।

7- श्रीमती अन्जू खन्गवाल, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी :-

I- जयपुर जिले की बस्सी तहसील के ग्राम रोजवाड़ी में 12 वर्ष पूर्व निर्मित सी.सी. रोड़ की मरम्मत करने एवं अपूर्ण नाली निर्माण को पूर्ण करने बाबत् ;

II- जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी की ग्राम पंचायत राजपुरा – पातलवास की स्कूल राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड की परीक्षा का केन्द्र कायम करने एवं क्रमोन्नत करने बाबत् ; एवं

III- जयपुर जिले की बस्सी तहसील की ग्राम पंचायत राजपुरा – पातलवास में बांसखो – लवाण सड़क से राजपुरा गॉव की फतवारी तक की आबादी क्षेत्र में सड़क की जीर्णशीर्ण स्थिति होने के कारण सड़क निर्माण करने बाबत्।

8- श्री अमराराम, सदस्य विधान सभा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पलसाना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगें।

9- श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य विधान सभा सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के गुरों का तालाब की ओर जाने वाले तिराहे की समस्याओं का निवारण करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

5. वित्तीय कार्य
अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2010-2011 का उपस्थापन

श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री वर्ष 2010-2011 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करेंगे ।

6. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011

(I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-8)

"राजस्थान राज्य में रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक-03) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(2) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011

(I) श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-9)

"राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(3) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011

(I) श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-10)

"राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(4) राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011

(I) मास्टर भंवरलाल मेघवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-11)

"राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक-01) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(5) राजस्थान विश्वविद्‌यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011

(I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विश्वविद्‌यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-12)

"राजस्थान विश्वविद्‌यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) अधिनियम, 1974 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्‌यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक-02) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(6) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011

(I) श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-13)

"राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक-05) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(7) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(I) श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-14)

"राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक-06) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

7. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

..7..

8. आधे घण्टे की चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा के नया जयपुर योजना के पूर्व निर्धारित क्षेत्रफल में संशोधन विषयक् तारांकित प्रश्न संख्या 29(206/नगरीय विकास एवं आवासन) का उत्तर, जो दिनांक 18 फरवरी, 2011 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर श्री कालीचरण सराफ एवं श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य विधान सभा आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे ।

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 11 मार्च, 2011